ज्ञापांक–**2304/**तक0/2023

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–28.04.2023

सेवा में,

Manoj Kumar Sinha,
M/s MOTEL MADHUBAN,
Plot Nos.: NS-3 & NS-3P, Phase-II, Adityapur Industrial Area,
Gamharia, Distt.: Seraikella-Kharsawan, Jharkhand (IN).9.

विषयः– **मौजा–Dindli, प्लॉट नं0–NS-3 and NS-3P, खाता नं0–306, वार्ड नं0–00, थाना नं0–128, जिला–सरायकेला–खरसावॉ में प्रस्तावित होटल व्यावसायिक भवन हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।**

उपर्युक्त विषयक ऑन–लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित होटल व्यावसायिक भवन के स्थल की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, आदित्यपुर के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक जाँच कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक–162 दिनांक–28.04.2023 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में उक्त भवन हेतु निम्नांकित अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :–

1. प्रस्तावित भवन के सामने वाले भाग में कम से कम 50,000 लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण अग्निशमन कार्य हेतु कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु Draw-Out Connection दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. भवन में अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम 10,000 लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. भवनों के चारों तरफ 100mm डाया वाले रिंग मेन्स का निर्माण कराया जाय। जिसमें प्रत्येक 30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक–एक यार्ड हाईड्रैण्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाय। यार्ड हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो अदद डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स की संस्थापन कराया जाय।
5. भवन के दोनों स्टेयरकेश में ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ एक–एक वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम का निर्माण कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मीटर लम्बा होजरील होज, डिलिवरी आउटलेट तथा दो–दो अदद डिलिवरी होज एवं एक–एक अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
6. सतही तल पर मुख्य प्रवेश द्वार के पास फोवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
7. पूरे व्यावसायिक भवन को Addresable स्मोक डिटेक्शन एवं अलार्म सिस्टम से सुरक्षित किया जाय।
8. भवन सतही तल सहित पूरे भवन को स्वचालित स्प्रिंकलर से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
9. अग्निशमन कार्य हेतु एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 1650 Lpm क्षमता का फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
10. 900 Lpm का स्वाचालित टेरेस पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
11. 180 Lpm का जॉकी पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
12. समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित एक पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
13. पम्पिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे एवं इन सभी पम्पों को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से भी जोड़कर रखा जाय।
14. भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रिशियन से हीं कराया जाय।
15. भवन में प्रति 400 वर्ग मीटर अथवा उसके भाग के लिये कम से कम 06 Kg क्षमता वाले चार–चार अदद A, B,C, अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
16. सभी इलेक्ट्रिकल उपकरणों को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।

17. भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
18. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
19. भवन में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाईंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भवन में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
20. प्रत्येक तलों के स्टेयरकेश लॉबी में कम से कम दो घंटा अग्नि–रोधी स्वाचालित फायर चेक डोर का संस्थापन किया जाय।
21. भवन में दो सीढ़ी होनी चाहिए एवं सीढ़ियों की चौड़ाई NBC मानक के अनुरूप होनी चाहिए।
22. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
23. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि–सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है। निर्मित होटल भवन में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण न किया जाय।
24. अग्नि–सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
25. भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
26. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

JAGJEEWAN RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT, 2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90be3cc4ac5ffdd851f54d7, postalCode=834002, st=Jharkhand, serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d90f3ec025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2023.04.29 19:34:17 +05'30'

(जगजीवन राम)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।